भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3422
दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म-प्लास्टिक संदूषण

3422. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म-प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) संदूषण का आकलन करने तथा उसकी पहचान की विधियां विकसित करने हेतु प्रारंभ की गई परियोजना का ब्यौरा उपलब्ध है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त परियोजना प्रारंभ किए जाने के पश्चात् सरकार के पास सूक्ष्म-प्लास्टिक संदूषण के संबंध में अब तक की गई पहचान का कोई आंकड़ा अथवा ब्यौरा उपलब्ध है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक ऐसे कुल कितने मामले सामने आए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चिन करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सीएसआईआर-भारतीय विष-विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, आईसीएआर-केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफटी), कोच्ची और बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (बीआईटीएस), पिलानी द्वारा संचालित "उभरते खाद्य संदूषकों के रूप में सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक: मान्य कार्यप्रणालियों की स्थापना और विभिन्न खाद्य मैट्रिक्स में

इसकी विद्यमानता को समझना" शीर्षक वाली परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

i. खाद्य पदार्थो में माडक्रो/नैनो-प्लास्टिक की पहचान और मात्रा निर्धारण के लिए विश्लेषणात्मक विधियों का विकास और सत्यापन।
ii. चिन्हित खाद्य पदार्थों में विकसित विधियों की अंतर-प्रयोगशाला और अंतः-प्रयोगशालागत संबंधी तुलना।
iii. चिन्हित खाद्य पदार्थो में माइक्रो /नैनो-प्लास्टिक की उपस्थिति की निगरानी और संपर्क स्तर का निर्धारण।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक एवं पैकेजिंग विनियम, 2018 को भी अधिसूचित किया है, जिसमें खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग के लिए अपेक्षाएं बिनिर्दिष्ट की गई हैं। इसके अनुसार, खाद्य पदार्थो की पैकेजिंग, निर्माण, भंडारण, रैपिंग, परिवहन और बिक्री एवं परोसने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री जो भोजन के सीधे संपर्क में आती है या जिसके संपर्क में आने की संभावना है, बह खाद्य-ग्रेड गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसमें खाद्य उत्पादों के संपर्क में आने वाली प्लास्टिक सामग्री के लिए भी मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के संबंधित विनिर्देशों का संदर्भ है। ये मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पद्धतियों के साथ एकरूपता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, इसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्री का आईएस 9845 के अनुसार परीक्षण किए जाने पर 60 मिलीग्राम/किलोग्राम या 10 मिलीग्राम/डीएसएम2 की निर्धारित समग्र माइग्रेशन सीमा के अंतर्गत होगी, जिसमें कोई दृश्यमान कलर माइग्रेशन नहीं होना चाहिए।
